NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED

Circular to all the members of the Exchange
Circular No.: NCDEX/MEMBERSHIP- 014/2026
Date : April 24, 2026
Subject : SEBI (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026

This is with reference to the SEBI (Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2026, published in the Official Gazette on April 15, 2026. The Regulations are in force from the date of their publication in the Official Gazette. Copy of the Regulations is enclosed as **Annexure**.

All Members are requested to take note of the same and ensure compliance.

For and on behalf of
National Commodity & Derivatives Exchange Limited

Kanti Pal
Deputy Vice President
Membership

For further information, / clarifications, please contact

1. Customer Service Group on toll free number: 1800 26 62339
2. Customer Service Group by e-mail to : askus@ncdex.com

Registered Office: 1st Floor, Akruti Corporate Park, Near G.E. Garden, LBS Road, Kanjurmarg West, Mumbai 400 078, India. CIN No. U51909MH2003PLC140116
Phone: +91-22-6640 6789, Fax +91-22-6640 6899, Website: www.ncdex.com

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16042026-271862
CG-MH-E-16042026-271862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948
No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 15 अप्रैल, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/300- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, शब्द “मध्यवर्ती” या शब्दों तथा चिह्नों “मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी)” और उनके जैसे शब्दों (जहाँ कहीं भी दिए हुए हों) के स्थान पर शब्द “इंटरमीडियरी” आ जाएगा, और इन विनियमों में, -

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) के बाद और खंड (च) से पहले, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(ङक) "दिन" का अर्थ होगा – कैलेंडर दिन, हालाँकि यदि इन विनियमों में कहीं कुछ और जिक्र किया गया हो तो वहाँ उसका अर्थ वही होगा;"

II. अनुसूची–II में,

क. खंड 3 में, उप-खंड (ख) में,

i. शब्दों "वह व्यक्ति निम्नानुसार किसी भी प्रकार से अयोग्य न हुआ हो" के स्थान पर शब्द "उस व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कुछ भी हुआ हो" आ जाएँगे;

ii. मद (i) एवं (ii) हट जाएँगे;

iii. मद (v) में, शब्दों "नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के संबंध में" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "किसी आर्थिक अपराध के संबंध में या सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत किसी अपराध के संबंध में या किसी अन्य अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) के संबंध में" आ जाएँगे; और

iv. मद (vi) में, शब्द "की कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या परिसमापन" हट जाएँगे ।

ख. खंड 3 के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(3क) खंड (2) में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है यदि उसके मामले में खंड (3) के उप-खंड (ख) के अनुसार कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आवेदक या इंटरमीडियरी ऐसा कुछ हो जाने की सूचना बोर्ड को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर देगा ।

(3ख) बोर्ड किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, यह घोषित कर सकेगा कि वह व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं है ।"

ग. खंड 4 में, शब्द तथा चिह्न "या उस आदेश के लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक (यदि उस आदेश में ऐसी किसी अवधि का जिक्र न किया गया हो)" हट जाएँगे ।

घ. खंड 5 में,

i. अंकों, अक्षरों तथा चिह्नों "11ख(11बी)" के स्थान पर अंक, अक्षर तथा चिह्न "11ख(1) [11बी(1)]" आ जाएँगे; और

ii. शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "छह महीनों" आ जाएँगे ।

ङ. खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(6) यदि आवेदक या इंटरमीडियरी के किसी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या उसकी किसी ग्रुप एंटिटी के बारे में बोर्ड द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि वह 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं है, तो उस घोषणा का कोई असर उस आवेदक या इंटरमीडियरी के 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' होने पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि उस आवेदक या इंटरमीडियरी या खंड (2) में बताए गए किसी दूसरे व्यक्ति के मामले में भी वैसा ही कुछ न हो जाए:

परंतु यह कि खंड (2) के उप-खंड (ख) में जिस व्यक्ति का जिक्र है यदि उस व्यक्ति के बारे में बोर्ड द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि वह 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं है, तो ऐसे में इंटरमीडियरी को उस व्यक्ति की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, इस प्रकार की गई घोषणा की तारीख से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के तीस कार्य-दिवसों के भीतर, लाना होगा, और यदि ऐसा न किया गया तो उस इंटरमीडियरी के खिलाफ 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' संबंधी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी:

परंतु यह और कि खंड (2) के उप-खंड (ग) में जिस व्यक्ति का जिक्र है यदि उस व्यक्ति के बारे में बोर्ड द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि वह 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं है, तो ऐसे में इंटरमीडियरी यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति, इस प्रकार की गई घोषणा की तारीख से छह महीनों के भीतर, किन्हीं मताधिकारों का प्रयोग न करे और अपनी हिस्सेदारी (होल्डिंग / धारिता) भी बेच दे, और यदि ऐसा न किया गया तो उस इंटरमीडियरी के खिलाफ 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' संबंधी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./36/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 (अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538) 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 5 दिसम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/285) द्वारा संशोधित हुए थे।

*****

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 15th April, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/300—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely–

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, -

I. in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (e) and before clause (f), the following new clause shall be inserted, namely -

“(ea) “days” shall mean calendar days unless otherwise specified in these regulations;”

II. in Schedule II,

a. in clause 3, in sub-clause (b),

i. the words “not incurring any of the following disqualifications” shall be substituted with the words “being subject to any of the following events”;
ii. items (i) and (ii) shall be omitted;
iii. in item (v), after the words “by a court for” and before the words “any offence involving”, the words “any economic offence or an offence of securities laws or” shall be inserted; and
iv. in item (vi), the words “any winding up proceedings have been initiated or” shall be omitted.

b. after clause 3, the following new clauses shall be inserted, namely, -

“(3A) If any person under clause (2) is subjected to any event under sub-clause (b) of clause (3), the applicant or intermediary shall inform the Board of the occurrence of such event within fifteen working days of the recognised stock exchanges.

(3B) A person shall be declared as not 'fit and proper person' by the Board, after granting such person a reasonable opportunity of being heard."

c. in clause 4, the words and symbol "or for a period of five years from the date of effect of the order, if no such period is specified in the order" shall be omitted.

d. in clause 5,

i. the numerals and letter "11B" shall be substituted with the numerals and letter "11B(1)"; and

ii. the words "one year" shall be substituted with the words "six months".

e. clause 6 shall be substituted with the following clause namely, -

"(6) If an associate or group entity of the applicant or intermediary has been declared as not 'fit and proper person' by the Board, such declaration shall not have any bearing on the 'fit and proper person' criteria of the applicant or intermediary unless the applicant or intermediary or any other person referred in clause (2), is also found to be subjected to the same event:

Provided that if any person as referred in sub-clause (b) of clause (2) has been declared as not 'fit and proper person' by the Board, the intermediary shall replace such person, within thirty working days of the recognised stock exchanges, from the date of such declaration failing which the 'fit and proper person' criteria may be invoked against the intermediary:

Provided further that if any person as referred in sub-clause (c) of clause (2) has been declared as not 'fit and proper person' by the Board, the intermediary shall ensure that such person does not exercise any voting rights and that such person divests their holding within six months from the date of such declaration failing which the 'fit and proper person' criteria may be invoked against such intermediary."

AMIT PRADHAN, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./36/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538 and was last amended on December 5, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/285.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA